RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक २५(२)] गुरुवार, जुलै १६, २०१५/आषाढ २५, शके १९३७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १६ जुलाई २०१५ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक, महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XXXIV OF 2015.

A BILL

TO PROVIDE FOR TEMPORARY POSTPONEMENT OF ELECTIONS TO AUTHORITIES AND BODIES OF CERTAIN NON-AGRICULTURAL AND NON-TECHNOLOGICAL UNIVERSITIES IN THE STATE OF MAHARASHTRA.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३४, सन २०१५।

महाराष्ट्र राज्य में कतिपय कृषितर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों तथा निकायों के निर्वाचनों के अस्थायी स्थगन का उपबंध करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ अन्यों में से विश्वविद्यालय में निर्वाचित सदस्यों से बने विभिन्न प्राधिकरणों और निकायों के गठन के लिये उपबंध करता है; सन १९९४ का महा. ३५।

और क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में कृषितर और प्रौद्यौगिकेतर विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने और उन्हें, उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने के लिये सक्षम बनाने की दृष्टि के साथ, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ का निरसन और राज्य में सभी कृषितर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों के लिये व्यापक विधि अधिनियमित करना इष्टकर समझती है ; सन १९९४ का महा. ३५।

और क्योंकि यह अपेक्षित है कि नया अधिनियम अधिनियमित करने के लिये इस निमित्त विधेयक निकट भविष्य में, राज्य विधान मंडल में पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है ;

और क्योंकि विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों और निकायों, नये अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित करना आवश्यक होगा ;

और क्योंकि कुछ महाविद्यालयों के प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों की पदावधि, ३१ अगस्त २०१५ को अवसित होगी ;

और क्योंकि इन प्रत्येक विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों और निकायों के निर्वाचित सदस्यों की रिक्तियाँ भरने के लिये, होनेवाले निर्वाचनों को अस्थायी रूप से स्थगित करना इष्टकर समझती है ;

और क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों के निर्वाचन अस्थायी रूप से स्थगित करने के लिये उपयुक्त प्रयोजनों के लिये उपबंध करना आवश्यक है; अत: भारत गणराज्य के छियासठ्वें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

(१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय प्राधिकरणों और अन्य निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

विश्वविद्यालय प्राधिकरणों और अन्य निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन।

(२) महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) या तद्धीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उन विश्वविद्यालयों के किन्हीं प्राधिकरणों या निकायों के किसी भी निर्वाचित सदस्यों के चाहे किसी भी रित्या हुई रिक्ति को भरने के लिये कोई भी निर्वाचन नहीं लिया जायेगा, वह ३१ अगस्त २०१६ (जिसे इसमें आगे, इस अधिनियम में " उक्त अवधि " कहा गया है) तक लिये जायेंगे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों के अस्थायी स्थगन के परिणाम।

(३) विश्वविद्यालय अधिनियम या तद्धीन निर्मित परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अवधि के दौरान, किसी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि, ऐसी किसी प्राधिकरण या निकाय में हुई रिक्तियाँ जो निर्वाचन द्वारा भरनी आवश्यक थी, इस प्रकार नहीं भरी गई हैं।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (सन् १९९४ का महा. ३५) (जिसे इसमें आगे " विश्वविद्यालय अधिनियम " कहा गया है) महाराष्ट्र राज्य में कतिपय कृषितर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों के अन्यों में से निर्वाचित सदस्यों से बने विभिन्न प्राधिकरणों और निकायों के गठन के लिये उपबंध करता है। उक्त विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ४२(१) यह उपबंध करती है की, प्रत्येक प्राधिकरण की अवधि, जिस दिनांक पर सदस्य ने उसके पद का ग्रहण किया, का विचार किये बिना, १ सितंबर को प्रारंभ होगी और वह पाँच वर्षों की होगी।

२. महाराष्ट्र राज्य में कृषितर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने और उन्हें, उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये सक्षम बनाने की दृष्टि के साथ, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (सन १९९४ का महा.३५) का निरसन और राज्य में सभी कृषितर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों के लिये व्यापक विधि अधिनियमित करना इष्टकर समझती है और इस प्रयोजन के लिये विभिन्न समितियों की नियुक्ति की गई है। यह अपेक्षित है कि, विधेयक, नये अधिनियम के संबंध में, निकट भविष्य में, राज्य विधान मंडल में पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है। नयी विधि के अधिनियमन पर, विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों और निकायों, नये अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित करना आवश्यक होगा।

३. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ४२(२) के अनुसार, निर्वाचन और नामनिर्देशन की प्रक्रिया, जिस पर वास्तविक रिक्ति पायी जाती है, ऐसे वर्ष के ३१ अगस्त के पूर्व तीन महीने में प्रारंभ होना आवश्यक है और, उस वर्ष में, ३१ दिसंबर से पूर्व समाप्त होना आवश्यक है।

४. अत: इसलिये ऐसे विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों के ३१ अगस्त २०१६ तक अस्थायी स्थगन के लिये उपबंध करना इष्टकर समझा गया है। यह भी उपबंध करना आवश्यक है कि, इस अवधि के दौरान किसी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का कोई कृत्य या कार्यवाहियाँ, केवल इस आधार पर अवैध नहीं होगी, ऐसे किसी प्राधिकरण या निकाय में पायी गई रिक्तियाँ जो निर्वाचन द्वारा भरी जाने की आवश्यकता थी, इस प्रकार नहीं भरी गई है।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

विनोद तावडे,
उच्चतर तथा तकनीकी
शिक्षा मंत्री।

मुंबई,
दिनांकित १५ जुलाई २०१५।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १६ जुलाई २०१५।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.